









# शराब की विक्री पर प्रतिबंध मतदान के समय और निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित - हाई कोर्ट

मुंबई हाई कोर्ट ने एक बार पिर साफ कर दिया है कि शराब की विक्री पर प्रतिबंध मतदान के समय और निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित है। साथ ही इस संबंध में रायगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में संशोधन किया गया है। रायगढ़ जिले में रायगढ़ और मावल ही दो लोकसभा क्षेत्र हैं और दोनों के लिए क्रमशः 7 और 13 मई को मतदान होगा। इसे देखते हुए कानून दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान से केवल 48 घण्टे पहले और मतदान समाप्त होने तक शराब की विक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि चौकी दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग दिनों में मतदान होगा, इसलिए कलेक्टर पूरे जिले के लिए यह शर्त लागू नहीं कर सकते। एस। जस्टिस चंद्रकर और जस्टिस जीतेंड्र जैन की पीठ ने बताया।

पीठ ने रायगढ़ जिला कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली नवी मुंबई होटल ओर्नर्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला करते हुए।



उपरोक्त आदेश पारित किया। मावल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पनवेल, कर्जंग और उरण विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जबकि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में वेन, अंतीआ, श्रीवर्धन और महाड़ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। लैकिन रायगढ़ के जिला कलेक्टर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा को दर्किना करते हुए मतदान अवधि के दौरान पूरे जिले में शराब की विक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि चौकी दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग दिनों में मतदान होगा, इसलिए कलेक्टर पूरे जिले के लिए यह शर्त लागू नहीं कर सकते। एस। जस्टिस चंद्रकर और जस्टिस जीतेंड्र जैन की पीठ ने बताया।

दूसरी ओर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, जिला कलेक्टर को शराब की विक्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है और इसमें हस्तांकण नहीं किया जा सकता है, याचिकाकाताओं की याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने तक दिया। हालांकि, कानून के अनुसार, निषेधाज्ञा आदेश केवल मतदान क्षेत्र तक ही सीमित है और उससे आगे लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोट ने याचिकाकाताओं को याहां देते हुए कहा कि हालांकि जिला कलेक्टर को शराबबंदी आदेश लागू करने का अधिकार है, लैकिन लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में

इस अधिकार की सीमाएं हैं। इसके अलावा, अदालत ने औरंगाबाद पीठ के आदेश पर भी ध्यान दिलाया कि शराब प्रतिबंध आदेश के बालं मतदान अवधि तक ही सीमित है और उसके बाद इसे लागू नहीं किया जा सकता है। साथ ही, रायगढ़ जिला कलेक्टर ने शराब विक्री आदेश में संशोधन किया, जिसे पूरे रायगढ़ जिले के लिए लागू किया गया। कोट के संशोधित आदेश के मुताबिक रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला कलेक्टर का आदेश 4 मई शाम 5 बजे से 7 मई को मतदान संपन्न होने तक वैध रहेगा। उसके बाद, आदेश 4 जून को फिर से लागू होगा और परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा।



**ठाणे:** मुंबई नासिक हाईकोर्ट ने याचिका के पास खरेगांव क्षेत्र में अंडरग्राउंड सीरेजर योजना के तहत नगर निगम के माध्यम से विभिन्न कार्य किए जाए हैं। इन कार्यों के लिए ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने मुंबई नासिक हाईकोर्ट पर खरेगांव और साकेत पूल इलाके पर खरेगांव और साकेत पूल इलाके होकर चलागे। खरेगांव टर्न रोड से ठाणे की ओर जाने वाले वाहनों को टर्न रोड में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। यहां वाहन 60 फीट मार्ग, दलवाड़ी, ओल्ड पुणे-मुंबई मार्ग, कलवा नाका से होकर चलागे। यातायात में ये बदलाव 31 मई तक लागू रहेंगे।

## डेढ़ साल में नौ बार ऐजिडेंट डॉक्टरों पर हमले... सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार को पत्र



मुंबई: पिछले डेढ़ साल में राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में नौ बार ऐजिडेंट डॉक्टरों पर हमले हुए हैं और इन घटनाओं के कारण अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। वहीं, अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऐजिडेंट डॉक्टरों पर हमले से चिंता व्यक्त की गई है। इन हमलों के मैटेनेजर सेंट्रल एम्आरडी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर मार्ग की है कि राज्य में ऐजिडेंट डॉक्टरों को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

3 मई, 2024 को अकोला में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सर्जी कर रहे एक ऐजिडेंट डॉक्टर पर मरीजों के रिसेप्शनरों ने हमला किया। जनवरी 2023 से अब तक ऐजिडेंट डॉक्टरों पर नौ बार हमले हो चुके हैं। ऐजिडेंट डॉक्टरों पर हमले से डॉक्टरों की शैक्षिक प्राप्ति पर भी असर पड़ता है। यह माहोल डॉक्टरों के विकास के लिए खतरनाक है। परिणामस्वरूप, भावी डॉक्टरों को सुरक्षित वातावरण

में सोखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि रेजिडेंट डॉक्टरों पर आगे के हमलों

को रोका जा सके, केंद्रीय निकिता शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, चिकित्सा विभाग के सचिव, निदेशक को लिखे पत्र में कहा गया है इसे चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय और राज्य के सभी सरकारी और निजी निकिता संस्थानों के प्राच्यवाणी आदि को भेज दिया गया है।

**नालासोपारा  
द्वारका होटल  
अग्निकांड: 4  
दिन बाद ठेकेदार  
के खिलाफ  
मामला दर्ज**

## ठाणे जिले में, 111 में से 20 आवेदन अवैध

**ठाणे:** जिले के तीन निर्वाचन क्षेत्रों ठाणे, कल्याण और मिंवडी के लिए कुल 355 आवेदन वितरित किए गए। इनमें से 111 अध्यर्थियों ने 136 आवेदन पत्र भरे थे। शनिवार को हुई जांच में 111 अध्यर्थियों में से 91 अध्यर्थियों के आवेदन वैध पाये गये, जबकि 20 अध्यर्थियों के आवेदन अवैध पाये गये। इनके चलते विवर्णी में बाससे ज्यादा 36, कल्याण में 30 और ठाणे में 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से कौन उम्मीदवार अपना नाम बापस लेगा और इनमें ही उम्मीदवार मैदान में रहेंगे, यह तस्वीर सोमवार को साफ हो जाएगी।

ठाणे जिले में तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कुछ तारीख तक तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 111 प्रत्याशियों के 136 आवेदन दाखिल हो चुके हैं। शनिवार को आवेदन की जांच की गयी। इनमें 20 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है, जबकि 91 आवेदनों को मान्य कर दिया गया है।

ठाणे लोकसभा क्षेत्र के लिए 105 नामांकन पत्र वितरित किये गए। इनमें से 36 अध्यर्थियों ने 43 आवेदन



दाखिल किए थे। आवेदन जांच प्रक्रिया में 36 आवेदनों में से 25 आवेदन वैध पाये गये, जबकि 11 आवेदन अवैध पाये गये। सबसे ज्यादा 137 नामांकन पत्र कल्याण लोकसभा क्षेत्र में बाटे गये। इनमें से 34 उम्मीदवारों ने 45 नामांकन पत्र भरे थे। आवेदन जांच के क्रम में 34 आवेदनों में से 30 आवेदन वैध पाये गये, जबकि 4 आवेदन अवैध पाये गये। विवर्णी लोकसभा क्षेत्र में 113 नामांकन पत्र वितरित किये गये। इनमें से 41 अध्यर्थियों ने 48 आवेदन पत्र भरे थे। सुन्नों ने बताया कि आवेदन जांच प्रक्रिया में 41 में से 36 आवेदन वैध पाये गये जबकि 5 आवेदन अवैध पाये गये। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कौन-कौन से प्रत्याशी नाम बापस लौटे या इनमें ही प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, इसकी तस्वीर समेत 8 लोग घायल हो गए, इस होटल के सामने की

**मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन. के, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रुम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई: 400016 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com**